न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 138 सन् 2018

ध्रुपति कुंअर व अन्य.....वादीगण

बनाम

नवल सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 09.04.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजरी है। विगत तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 18.09.2019 पर सुना गया। आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण की ओर से दिनांक 18.09.2020 को आदेश 22 नियत 4 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26.06.2020 के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 10.05.2020 को प्रतिवादी सं0 7 यदुनंदन राय की अचानक मृत्यु हो गई है। उनका नाम काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसान उनकी पत्नी मु0 देवरानी कुंअर एवं दो लड़का प्रतीक कुमार राय तथा राजेन्द्र प्रसाद का नाम जोड़ना न्यायहित में आवश्यक है। वादी का कथन है कि दिनांक 03. 07.2020 को प्रतिवादी सं0 23 रामेश्वर साह की भी मृत्यु हो गई है। उनके वारिसान पूर्व से प्रतिवादी सं0 24 दिलीप साह इस वाद में पक्षकर हैं। इसलिए केवल प्रतिवादी सं0 23 रामेश्वर साह का नाम वादपत्र से काट दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिस्थापना आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के ओर से प्रतिस्थापना आवेदन पर नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 7 युदनंदन राय एवं प्रतिवादी सं0 23 रामेश्वर साह पक्षकार थे। जिनकी मृत्यु के

संबंध में वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। वादीगण की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन उनकी जानकारी होने की तिथि दिनांक 26.06.2020 के तीन माह के भीतर प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर प्रतिवादी सं0 7 एवं प्रतिवादी सं0 23 का नाम काटकर प्रतिवादी सं0 7 के वारिसानों को प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 23.04.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।